प्रेस नोट-थाना पुवायाँ
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक - 19.09.2026

थाना पुवायाँ पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों को मय घटना में प्रयुक्त 02 डण्डों सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम एवं चिन्हित किये गये अपराधियों, वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के परिपेक्ष्य में प्रचलित अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायाँ महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पुवायाँ के कुशल नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस टीम को बडी सफलता हासिल हुई।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.09.26 को वादिनी द्वारा थाना पुवायाँ पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 567/26 धारा 105/115(2) बीएनएस बावत अभियुक्तगण 01- सोबरन 02- शिवसरन उर्फ चन्ने 03- अहिबरन पुत्रगण भन्नू 04- संजय पुत्र सोबरन निवासीगण ग्राम सदापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादिनी के देवर ओमप्रकाश के साथ लिप्टिस के पेड़ के रुपयों को लेकर मारपीट करना, बीच बचाव करने आये वादिनी के पति रामकृपाल के साथ मारपीट करने व अभियुक्त सोबरन के द्वारा वादिनी के पति का गला दबा देने जिससे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े व उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 19.09.26 को मुदकमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 01 शिवसरन उर्फ चन्ने पुत्र भन्नू, उम्र करीब 35 वर्ष 02 सोबरन पुत्र भन्नू उम्र करीब 55 वर्ष, निवासीगण ग्राम सदापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर को निगोही रोड़ से ग्राम जठियापुर बुजुर्ग को जाने वाले रास्ते के मोड़ से समय 14.19 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताए गए स्थान से घटना में प्रयुक्त दो डन्डों को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

शिवसरन उर्फ चन्ने पुत्र भन्नू, उम्र करीब 35 वर्ष, नि0 ग्राम सदापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।
सोबरन पुत्र भन्नू, उम्र करीब 55 वर्ष, नि0 ग्राम सदापुर, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 567/2026 धारा 105/115(2) बीएनएस, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर।

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 19.09.2026 को समय 14.19 बजे, निगोही रोड़ से ग्राम जठियापुर बुजुर्ग को जाने वाले रास्ते के मोड़ से।

बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त दो डन्डें

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि करीब 02 वर्ष पहले हमने लिप्टिस के पेड़ बेचे थे जिसमें मुझे 67000 रूपये मिले थे जो मैंने खर्च कर लिए थे। इसी बात को लेकर ओमप्रकाश मेरे परिवार वालो को मेरे खिलाफ भड़काता था वो मेरे परिवार वालों से बोलता था कि अब तो शिवसरन ने सारे पैसे खर्च कर लिए है अब तुम लोगों को ही शिवसरन का खर्च उठाना पड़ेगा। इसी तरह दिनांक 18.09.2026 को भी ओमप्रकाश व उसका भाई रामकृपाल दोबारा मेरे परिवार वालों को भड़का रहे थे। इसी बात पर हम दोनों पक्षो का झगड़ा होने लगा और विवाद बढ़ गया गुस्से में आकर हम लोगों ने रामकृपाल को घर में से लाठी लेकर बहुत मारा पीटा झगड़े के दौरान ही रामकृपाल वहीं गिर गया था मौके पर रामकृपाल के अन्य परिजन भी आ गये थे जब

हमने देखा की रामकृपाल के परिवारीजन वहाँ आ रहे है तब हम लोग उक्त डण्डों को लेकर मौके से भाग गये थे उक्त डण्डे मैंने व सोबरन नें ग्राम सदापुर के पास पानी की टंकी के सामने गन्ने के खेत मे फेंक दिया था।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 श्री अमित कुमार
का0 अनिल कुमार
का0 सन्देश कुमार